"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014— वैशाख 26, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-87/2011/दो-गृह. — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त योजना में ,-

खण्ड 3 के उप-खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात् :-

"(4) एसिड हमले के पीड़ितों को चिकित्सा उपचार, दीर्घ एवं लघु अवधि के लिए विशेष प्लास्टिक सर्जरी विशिष्ट चिकित्सालयों में एवं विशेष मनोवैज्ञानिक तथा सुधारात्मक उपचार उपलब्ध कराना.

(5) एसिड हमले के पीड़ितों के उपचार में आने वाले शत् प्रतिशत व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2014

क्रमांक एफ 3-87/2011/दो-गृह. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 16th May 2014

NOTIFICATION

No. F 3-87/2011/Home-2. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Victim Compensation Scheme, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the said Scheme,-

After sub-clause (3) of Clause 3, the following shall be added, namely :-

"(4) Victims of acid attack shall be provided with medical treatment, specialized plastic surgery for short and long term in specialized hospitals and specialized psychological and corrective treatment.

(5) The State Government shall bear 100% expenditure incurred on such treatment of victims of acid attack."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.